

आधार 7 विविध	37. इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यताही का सराजण 38. परिकल्पना	39. यकृमेंस कम्पोरोशन ऐक्ट तथा रूल्स का प्रवृत्त होना। 40. नियम बनाने का अधिकार 41. नियन्त्रण यूनियॉन ऐक्ट संख्या 22, 1947 अनुसूची 1 अनुसूची 2
-------------------------------	---	--

उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 25 नवम्बर, 1962 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने संशोधन राहित दिनांक 1 नवम्बर, 1962 ई० की बैठक में रखीकृत किया जिसको उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 5 नवम्बर, 1962 ई० की बैठक में रखीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 18 दिसम्बर, 1962 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी अरामारण गण्ड में दिनांक 26 दिसम्बर, 1962 ई० को प्रकाशित हआ ॥

दुकानों और वाणिज्य अधिकारियों में कार्य और नियोजन की दशाओं के विनियमन से सम्बद्ध विधि का समेकन और सशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारतीय गणराज्य के तो सहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय ।

प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त शीर्षक, प्रसार और व्याप्ति—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिकारी अधिनियम, १९६२ कहा जाय।

(2) इसका विस्तार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) अधिनियम के अनुसूची 1 में निर्दिष्ट इस उपबन्ध उक्त अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों में उस मात्रा में प्रवृत्त होगे जिसका निर्देश उस अनुसूची में किया गया है, और राज्य सरकार, गजट में विज्ञाप्ति देकर, समय-रामय पर यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबन्ध ऐसे क्षेत्रों के संबंध में और उतनी मात्रा में भी लागू होगे, जिसका कि निर्देश उस विज्ञाप्ति में किया जाय।

२ प्रतिकूल विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(1) "प्रशिक्षु" का तात्पर्य किसी व्यापार या व्यवसाय में नियोजक (employer) द्वारा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ मजदूरी पर या बिना मजदूरी के नियोजित ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु 12 वर्ष से कम न हो।

[(1-क) "मुख्य निरीक्षक का" तात्पर्य धारा 29 के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक से है इसमें उक्त धारा के अधीन नियुक्त उप-मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक भी सम्मिलित हैं.]

(2) “वार्षा” का वाक्यर्थ उस व्यक्ति से है जो चौदह वर्ष का न हो चुका है।

(2) बच्चा का तात्पर्य उस व्यापार से है कि

(3) 'बन्द' का तात्पर्य खण्ड (13) के अधीन पुला लिखते हैं,

(4) 'वाणिज्य-अधिष्ठान' का तात्पर्य किसी ऐसे परिसर से है जो, फैक्टरी के भू-गृहादि या दुकान न हों और जहाँ कोई व्यापार, कारोबार, निर्माण (manufacture) या उससे सम्बद्ध अथवा उसका आनुषंगिक या सहायक कोई काम लाभ के लिये किया जाता हो और इसके अन्तर्गत ऐसे परिसर भी सम्मिलित हैं जहाँ पत्रकारिता या मुद्रण का कार्य अथवा रूपए के लेन-देन, बीमा, स्टाक तथा अंश, दलाली या उत्पाद-विनियम का कारोबार किया जाता हो अथवा जो थियेटर या सिनेमा के रूप में या किसी अन्य सार्वजनिक विनोद या मनोरजन के लिए प्रयुक्त होता हो अथवा जहाँ फैक्टरी के लिपकीय तथा अन्य कर्मचारीगण, जिन पर फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 के उपबन्ध लागू न होते हों,

(5) "दिन" का तात्पर्य मध्यरात्रि से प्रारम्भ होने वाली 24 घंटे की अवधि से है :

1 1976 के उत्तराधिनियम सं 54 द्वारा (15.10.1976 से) अन्तःस्थापित।

प्रतिबन्ध भरत है कि उस कर्मचारी के विषय में, जिसके कार्य का समय मध्यरात्रि के बाद तक हो, दिन का तात्पर्य उसके काथे के प्रारम्भ होने के समय से 24 घंटे की अवधि से है;

- (6) "कर्मचारी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो नियोजक द्वारा किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में किए जाने वाले किसी व्यापार, कारोबार या निर्माण में अथवा उसके सम्बंध में, मजदूरी पर पूर्णतः या मुख्यतः नियोजित हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—
 - (क) अवेक्षक, माली या पहरा और रक्षा दल (Watch and Ward) का कोई सदस्य
 - (ख) फैक्ट्री या औद्योगिक अधिष्ठान के लिपिक या अन्य कर्मचारीगण, जो फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 (ऐक्ट संख्या 63, 1948) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आते हों, और
 - (ग) कोई प्रशिक्षु या ऐसा व्यक्ति जो ठेके पर कार्य करता हो या जिसे कार्य की मात्रा के अनुसार वेतन दिया जाता हो;
- (7) "नियोजक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसका यथास्थिति दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में किए जाने वाले व्यापार, कारोबार या निर्माण (manufacture) पर स्वामित्व हो या जो उसका प्रभारी हो अथवा जिसका उस पर अंतिम रूप से नियंत्रण हो, और इसके अन्तर्गत उक्त व्यापार, कारोबार या निर्माण के प्रबन्ध या नियंत्रण में नियोजक की ओर से काम करने वाला प्रबन्धक या अभिकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है;
- (8) "फैक्ट्री" का वही अर्थ होगा जो फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 (ऐक्ट संख्या 63, 1948) में दिया गया है, किन्तु इसके अन्तर्गत वे परिसर नहीं हैं, जहाँ फैक्ट्री के ऐसे लिपकीय या अन्य कर्मचारीगण (establishment) कार्य करते हों, जिन पर उक्त ऐक्ट के उपबन्ध प्रवृत्त न होते हों;
- (9) नियोजक के सम्बन्ध में "परिवार" का तात्पर्य उस नियोजक के, यथास्थिति, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन से है, जो उसके साथ रहते हों और उस पर पूर्णरूप से आश्रित हों;
- (10) "इन्सपेक्टर" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 29 के अधीन नियुक्त निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक से है;
- (11) "छुटटी" का तात्पर्य काम पर से सवेतन अनुपस्थित रहने की उस अवधि से है, जिसके लिए इस अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन कर्मचारी हकदार हो;
- (12) "रात्रि" का तात्पर्य लगातार बारह घंटों की ऐसी अवधि से है जो इस प्रकार नियत की जाए कि 10 बजे रात्रि और 6 बजे प्रातः काल के बीच का समय सदैव इसके अन्तर्गत हो;
- (13) दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान के सम्बन्ध में "खुला" का तात्पर्य किसी ग्राहक की सेवा के लिए या दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में सामान्यतः किए जाने वाले कारोबार, व्यापार अथवा निर्माण के लिए खुले होने से है;
- ¹[(13-क) किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के सम्बन्ध में "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो ऐसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान चलाता हो या उसका प्रभारी हो;]
- (14) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा नियत से है,

- (15) "फुटकर व्यापार या कारोबार" का तात्पर्य माल की छोटी मात्राओं में बिक्री तथा ग्राहकों की सेवा से है और नाई या केश-प्रसाधक का व्यवसाय, पकाए हुए भोजन, जल-पान या मादक द्रव की बिक्री तथा नीलाम द्वारा फुटकर बिक्री भी इसके अन्तर्गत हैं;
- (16) "दुकान" का तात्पर्य किसी ऐसे परिसर से है, जहाँ किसी प्रकार का कोई थोक या फुटकर व्यापार या कारोबार किया जाता हो अथवा जहाँ ग्राहकों को सेवायें दी जाती हो, और इसके अन्तर्गत वे समस्त कार्यालय, गोदाम या भण्डार भी सम्मिलित हैं, जो ऐसे व्यापार या कारोबार के सम्बन्ध में प्रयोग में लाए जाते हों, चाहे वे उसी परिसर में हों या न हों;
- (17) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;
- (18) "भजदूरी" का तात्पर्य धन के रूप में अभिव्यक्त या अभिव्यक्त होने योग्य ऐसे समस्त पारिश्रमिक (चाहे वह वेतन के रूप में हो या भत्ते के रूप में या अन्य किसी रूप में) से है, जो नियोजन की अभिव्यक्त या विवेकित शर्तें पूरी हो जाने की दशा में कर्मचारी को देय होगा और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं :—
- (क) कोई बोनस;
 - (ख) कर्मचारी को उसके नियोजन की समाप्ति के कारण देय कोई धनराशि; और
 - (ग) उसके नियोजन की शर्तों के अधीन देय कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक।
- (19) "सप्ताह" का तात्पर्य एक शनिवार की मध्य रात्रि से लेकर अगले शनिवार की मध्य रात्रि तक की अवधि से है; और
- (20) "तरुण" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो न तो बच्चा हो और न सत्रह वर्ष का हो चुका हो।

3. अधिनियम के उपबन्ध कर्तिपय व्यक्तियों, दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों पर प्रवृत्त न होंगे—(1) इस अधिनियम के उपबन्ध निम्नलिखित पर प्रवृत्त न होंगे :—

- (क) ऐसे कर्मचारी जो किसी ऐसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में, जिसमें पाँच से अधिक व्यक्ति नियोजित हों, गोपनीय, प्रबन्धकीय या पर्यवेक्षी प्रकार के पदों पर हों;
- (ख) ऐसे कर्मचारी जिनका कार्य स्वाभाविक रूप से सविराम हो, जैसे यात्री या प्रार्थक (कनवेसर);
- (ग) सरकारी या स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालय;
- (घ) रिजर्व बैंक आफ इंडिया के कार्यालय;
- (ङ.) अस्वरथ, अशक्त, निराश्रित या मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्तियों के उपचार या उनकी देखभाल के लिए अधिष्ठान; और
- (च) नियोजक के परिवार के सदस्य।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित कर्मचारियों की एक सूची दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बद्ध निरीक्षक को भेजी जायेगी।

(3) दुकानों या वाणिज्य अधिष्ठानों के किसी वर्ग को अधिनियम के प्रवर्तन से विमुक्त करने का सरकार का अधिकार—राज्य सरकार, लोक-हित में, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान अथवा दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के किसी वर्ग को ऐसी शर्तों पर जो वह तदर्थ आरोपित करे, इस अधिनियम के समस्त या किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से विमुक्त कर सकती है।

(4) राज्य सरकार द्वारा विमुक्ति का वापस लिया जाना—राज्य सरकार, उसी प्रकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा उपधारा (3) के अधीन दी गई किसी विमुक्ति को पूर्णतः या अंशतः, स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए जो निर्दिष्ट की जाय, वापस ले सकती है।

4. व्यावृत्ति—इस अधिनियम में दी गई किसी बात से किसी ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा, जिसका कोई कर्मचारी उस दिनांक को जब यह अधिनियम उस पर प्रवृत्त होना प्रारम्भ हो, उक्त दिनांक को प्रचलित किसी विधि, अधिनिर्णय (Award), अनुबन्ध, संविदा, रुढ़ि या प्रथा के अनुसार हकदार हो।

'[अध्याय 1-क

दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों का रजिस्ट्रीकरण

4-क. दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों का रजिस्टर—मुख्य निरीक्षक उन समस्त दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों का, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, एक रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में रखेगा और जिसमें ऐसा विवरण दिया जायेगा जैसा नियत किया जाए :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे विभिन्न रजिस्टर विभिन्न क्षेत्रों और वाणिज्य अधिष्ठानों के लिये भिन्न-भिन्न रखे जा सकते हैं।

4-ख. रजिस्ट्रीकरण—(1) प्रत्येक दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान का स्वामी ऐसे कारोबार के प्रारम्भ होने के तीन मास के भीतर या उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ होने से तीन मास के भीतर जो भी पश्चात्वर्ती हो, अपनी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान के रजिस्ट्रीकरण के लिए मुख्य निरीक्षक को आवेदन-पत्र देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र ऐसे प्रपत्र में होगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जैसी नियत की जाय।

(3) मुख्य निरीक्षक अपना यह समाधान होने पर कि नियत फीस जमा कर दी गई है, धारा 4-क के अधीन रखे गये रजिस्टर में दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान को दर्ज करेगा और स्वामी को ऐसे प्रपत्र में और ऐसे रीति से, जैसी नियत की जाय, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देगा।

4-ग. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की अवधि और उसका नवीनीकरण—धारा 4-ख के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी अवधि के लिये, जैसी नियत की जाय, विधिमान्य होगा और इस निमित्त आवेदन-पत्र और नियत फीस देने पर, मुख्य निरीक्षक द्वारा उसका समय-समय पर ऐसी अग्रेतर अवधि के लिये, जैसी नियत की जाय, नवीनीकरण किया जा सकेगा।

4-घ. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति—जब कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय या विरुपित हो जाय या अपठनीय हो तो मुख्य निरीक्षक नियत रीति से और नियत फीस देने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति देगा ॥

1. 1976 के उ०प्र० अधिनियम सं० 54 द्वारा दिनांक (15.10.1976 से) अन्तःस्थापित गया।

अध्याय 2

कारोबार का समय

5. कारोबार का समय—(1) कोई दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान, जो अनुसूची 2 में उल्लिखित दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान न हो, किसी भी दिन, न तो ऐसे समय के पूर्व खुलेगा और न ऐसे समय के पश्चात् बन्द होगा, जो तदर्थ नियत किया जाय;

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के होते हुए भी दुकानों या वाणिज्य-अधिष्ठानों के विभिन्न वर्गों के लिए, या विभिन्न क्षेत्रों के लिए या वर्ष की विभिन्न अवधियों में पहले खोलने या बाद में बन्द करने का समय नियत किया जा सकता है।

(3) राज्य सरकार, किसी भी समय, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, दुकानों या वाणिज्य अधिष्ठानों के किसी वर्ग को अनुसूची 2 में बढ़ा सकती है या उसमें से निकाल सकती है।

6. काम का समय और अधिसमय—(1) कोई नियोजक किसी कर्मचारी से एक दिन में उसके—

- (क) बच्चा होने की दशा में पाँच घंटे;
- (ख) तरुण होने की दशा में छः घंटे, और
- (ग) कोई अन्य कर्मचारी होने की दशा में आठ घंटे से अधिक

काम करने की अपेक्षा नहीं करेगा और न उसे उससे अधिक काम करने देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे कर्मचारी से जो तरुण या बच्चा न हो, उपर्युक्त समय से अधिक काम करने की अपेक्षा की जा सकती है या उसे उक्त समय से से अधिक काम करने दिया जा सकता है, किन्तु इस प्रकार कि स्टाक सम्हालने या लेखा तैयार करने के दिन के सिवाय किसी अन्य दिन काम का कुल समय (जिसमें अधिसमय भी सम्मिलित है) दस घंटे से अधिक न हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी तिमाही में अधिसामयिक (overtime) काम का समय पचास घंटे से अधिक न होगा।

स्पष्टीकरण—“तिमाही” का तात्पर्य पहली जनवरी या पहली अप्रैल या पहली जुलाई या पहली अक्टूबर का प्रारम्भ होने वाली तीन मास की निरन्तर अवधि से है।

(2) ऐसे कर्मचारी को, जिसने उपधारा (1) खण्ड (ग) के अधीन निश्चित काम के समय के अतिरिक्त काम किया हो उसके नियोजक द्वारा, ऐसे अतिरिक्त समय के काम के प्रत्येक घंटे के लिए साधारण दर की दुगुनी दर से मजदूरी दी जायगी।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “साधारण दर” का तात्पर्य आधारभूत मजदूरी तथा ऐसे भत्ते से है जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों को अनाज तथा अन्य पदार्थों की रियायती दर पर बिक्री से होने वाले लाभ के बराबर नकदी भी है, जो कर्मचारी, तत्समय पाने का हकदार हो किन्तु इसके अन्तर्गत बोनस नहीं है।

स्पष्टीकरण 2—कर्मचारी को अधिसामयिक (over time) काम के लिए देय मजदूरी की गणना करने में एक दिन को काम के आठ घंटे का माना जायगा।

7. विश्राम के लिए अन्तर्काल और एक दिन में कार्य के घंटों का विस्तार—किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में काम के घंटों की व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक कर्मचारी को लगातार पाँच घंटे से अनधिक काम करने के पश्चात् कम से कम आधे घंटे का विश्राम मिले और किसी कर्मचारी के काम के समयों तथा विश्राम के अन्तर्कालों का कुल विस्तार एक दिन में बारह घंटों से अधिक का न हो;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार लोक-हित में और ऐसी शर्तों पर जो वह आवश्यक या इष्टकर समझे, विस्तार की उक्त अवधि को या तो सामान्यतः या दुकानों या वाणिज्य-अधिकानों के किसी विशेष वर्ग के लिए बढ़ा सकती है।

अध्याय 3 अवकाश के दिन और छुट्टी

8. बन्दी के दिन—(1) प्रत्येक नियोजक अपनी दुकान या वाणिज्य-अधिकान को, जो अनुसूची 2 में सम्मिलित नहीं है—

- (क) सप्ताह में एक दिन, और
- (ख) वर्ष में ऐसे सार्वजनिक अवकाश के दिनों (public holidays) पर, जो नियत किए जाएं, बन्द रखेगा और ये दिन यहाँ आगे बन्दी के दिन कहे जायेंगे।

(2) बन्दी का दिन (जो सार्वजनिक अवकाश के उपलक्ष में बन्दी का दिन न हो) किस दिन पड़ना चाहिए इसका निश्चय, राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, नियोजक करेगा। नियोजक दुकान या वाणिज्य अधिकान में किसी प्रमुख रथान पर एक नोटिस प्रदर्शित करेगा जिसमें बन्दी के समस्त दिनों का उल्लेख होगा।

(3) नियोजक द्वारा बन्दी के दिन में परिवर्तन वर्ष में एक बार से अधिक अथवा उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी का नियत रीति से अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायगा। इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन अगले वर्ष की पहली जनवरी से प्रभावी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी रथान के नियोजक सप्ताह के किसी विशेष दिन को बन्दी के दिन के रूप में नहीं मनाते हैं तो उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, नियत रीति से, किसी विशेष दिन को उस रथान के लिए बन्दी का दिन निश्चित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्राधिकारी, किसी रथान के अधिकांश नियोजकों की लिखित प्रार्थना पर बन्दी का दिन निश्चित किए जाने के दिनांक के छः मास के बाद किसी भी समय, ऐसे दिनांक, से जो उसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, उक्त बन्दी के दिन में यदि वह सार्वजनिक अवकाश का दिन न हो परिवर्तन कर सकता है।

स्पष्टीकरण—“रथान” का तात्पर्य ऐसे संपर्शिक (compact) क्षेत्र से है जिसे उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी, सार्वजनिक सूचना द्वारा इस रूप में घोषित करे।

9. अवकाश के दिन—प्रत्येक कर्मचारी को, जो चौकीदार या अवेक्षक (caretaker) न हो, नियोजक द्वारा निम्नांकित दिनों का अवकाश दिया जायगा :—

- (1) प्रत्येक बन्दी के दिन का जो सार्वजनिक अवकाश का दिन हो; और
- (2) प्रत्येक सप्ताह में एक पूरे दिन का;

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (2) की कोई बात किसी ऐसे कर्मचारी पर प्रवृत्त न होगी, जिसकी सप्ताह में नियोजन की कुल अवधि (जिसके अन्तर्गत छुट्टी पर रहने का दिन या अवकाश का दिन भी है) छः दिन से कम हो।

10. उपार्जित छुट्टी, अस्वस्थता सम्बंधी छुट्टी तथा आकस्मिक छुट्टी—(1) प्रत्येक कर्मचारी जो एक ही नियोजक के निरन्तर नियोजन में बारह मास या उससे अधिक समय से हो, धारा 9 के अधीन अनुमत किसी अवकाश के साथ-साथ, उक्त सेवा के प्रत्येक बारह मास के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की उपार्जित छुट्टी पाने का भी हकदार होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि चौकीदार या अवेक्षक, जो बारह मास या उससे अधिक समय से निरन्तर नियोजन में हो, उक्त सेवा के प्रत्येक बारह मास के लिए कम-से-कम साठ दिन की उपार्जित छुट्टी पाने का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक कर्मचारी, जो एक ही नियोजक के निरन्तर नियोजन में छः मास या उससे अधिक समय ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाय, किसी एक कलेण्डर वर्ष में कम से कम पन्द्रह फ़ी अस्वस्थता सम्बन्धी छुट्टी पाने का भी हकदार होगा।

(3) प्रत्येक कर्मचारी, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाय, उपार्जित छुट्टी और अथवा सम्बन्धी छुट्टी के साथ-साथ प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में कम से कम दस दिन की आकस्मिक भी पाने का हकदार होगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, समस्त छुट्टियां प्रार्थना-पत्र दिए पर स्वीकृत की जायेगी।

(5) ऐसी उपार्जित छुट्टी जो किसी कर्मचारी ने किसी वर्ष में न ली हो, उस उपार्जित छुट्टी में जोड़ जायेगी जो उक्त कर्मचारी को अगले वर्ष के लिए प्राप्त हो :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी समय कर्मचारी को देय उपार्जित छुट्टी की कुल अवधि 45 दिन से कम न होगी।

(6) उपधारा (1) या (2) के अर्थ में कर्मचारी के निरन्तर नियोजन की अवधि की गणना करने में वह सम्मिलित कर ली जायगी, जिसमें कर्मचारी इस धारा के अधीन छुट्टी पर रहा हो।

(7) यदि नियोजक कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दे, या कर्मचारी ही नियोजन समाप्त कर दे, तो नियोजक, कर्मचारी, को उतने दिनों की मजदूरी का देनदार होगा, जितने दिनों की उपार्जित छुट्टी उसे हो।

11. अस्वीकृत छुट्टी के लिए भुगतान—(1) जब किसी ऐसे कर्मचारी को, जिसे पैंतालिस दिन की उपार्जित छुट्टी देय हो, ऐसी छुट्टी अस्वीकृत की जाय, तो वह अस्वीकृत छुट्टी की अवधि के लिये उस धनराशि का हकदार होगा जो कि उसके उस अवधि में छुट्टी पर रहने की दशा में उसे मजदूरी के रूप देय होती।

(2) उपधारा (1) के अधीन देय धनराशि उस अवधि के लिये देय मजदूरी के अतिरिक्त होगी।

(3) कर्मचारी के उक्त धनराशि के लेने पर उसे देय उपार्जित छुट्टी में से उतने दिन घटा दिये जायेंगे जिनके सम्बन्ध में वह धनराशि प्राप्त की गयी हो।

12. अवकाश के दिन और छुट्टी के लिए मजदूरी—प्रत्येक अवकाश के दिन के लिये, और इस अधिनियम के अधीन दी गयी छुट्टी के प्रत्येक दिन के लिये, कर्मचारी ऐसी दर से मजदूरी पाने का हकदार होगा जो उस दर से कम न हो, जिस दर से मजदूरी पाने का हकदार वह अवकाश के दिन के या उसी गयी छुट्टी के, ठीक पहले वाले दिन था, भले ही किसी अन्य विधि, संविदा, रुढ़ि या प्रथा में कोई विपरीत बात हो।

अध्याय 4

मजदूरी में कटौतियाँ और सेवामुक्ति का नोटिस

13. मजदूरी की अवधि—(1) प्रत्येक नियोजक एक अवधि निश्चित करेगा (जिसे यहाँ आगे मजदूरी की अवधि कहा गया है), जिसकी समाप्ति पर, और जिसके सम्बन्ध में, उसके कर्मचारियों को मजदूरी देय होगी।

(2) कोई मजदूरी की अवधि एक मास से अधिक की न होगी।

(3) प्रत्येक कर्मचारी को मजदूरी ऐसी अवधि के भीतर दे दी जायेगी जो नियत की जाय।

(4) छुट्टी की अवधि का उपयोग न करने के कारण कर्मचारी को देय पारिश्रमिक और उसके द्वारा उपार्जित मजदूरी का भुगतान कर्मचारी को—

- (क) यदि नियोजक द्वारा या उसकी ओर से उसका (कर्मचारी का) नियोजन समाप्त किया जाय तो इस प्रकार नियोजन समाप्त किये जाने के पश्चात् दूसरे कार्य दिवस की समाप्ति के पूर्व किया जायगा; और
- (ख) यदि कर्मचारी द्वारा अपना नियोजन समाप्त किया जाय तो अगले वेतन दिवस को या उसके पूर्व किया जायगा।

14. उपार्जित छुट्टी की अवधि के लिये मजदूरी का भुगतान—(1) ऐसे कर्मचारी द्वारा माँग की जाने पर, जो उपार्जित छुट्टी पर जा रहा हो, या उक्त छुट्टी की आधी अवधि की मजदूरी का, और उस छुट्टी के ठीक पूर्व की मजदूरी की अवधि की मजदूरी का अग्रिम (Advance) भुगतान किया जायगा। उक्त छुट्टी की शेष आधी अवधि की मजदूरी, उसके काम पर वापस आने के बाद की प्रथम मजदूरी की अवधि की मजदूरी के साथ उसे देय होगी।

(2) अस्वरुद्धा-सम्बन्धी छुट्टी की अवधि की मजदूरी, कर्मचारी के काम पर वापस आने के बाद की प्रथम मजदूरी की अवधि की उसकी मजदूरी के साथ उसे देय होगी।

15. मजदूरी में कटौतियाँ—कर्मचारी के वेतन में से कटौतियाँ केवल उस सीमा तक और ऐसी रीति से की जायेगी, जो नियत की जायें।

16. कर्मचारियों को अर्थ-दण्ड—नियोजक कर्मचारी पर, मजदूरी की अवधि के लिए उसे देय मजदूरी के तीन प्रतिशत से अधिक जा अर्थ दण्ड आरोपित न करेगा।

17. अर्थ-दण्ड का रजिस्टर—(1) नियोजक नियत प्रपत्र में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें समस्त आरोपित अर्थ दण्ड तथा उनकी वसूली दर्ज की जायेगी।

(2) कर्मचारियों से वसूल किये गये अर्थ दण्ड केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिये काम में लाये जायेंगे, जो उनके लिये हितकारी हों और जो राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हों।

18. मजदूरी की वसूली—यदि कर्मचारी की मजदूरी का भुगतान इस अधिनियम, द्वारा या उसके अधीन व्यवस्थित रीति से न किया जाय तो वह ऐमेन्ट ऑफ वेजेज ऐक्ट, 1936 में व्यवस्थित रीति से इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो वह उक्त ऐक्ट के अधीन देय मजदूरी (wage) हो।

टिप्पणी

धारा 18 के प्रावधान स्पष्टतः यह दर्शित करते हैं, कि कर्मचारियों के पारिश्रमिक, यदि संदर्भ नहीं की जाती है, मजदूरी संदाय अधिनियम में उपबन्धित रीति से वैसे ही वसूली योग्य होगा मानों कि वह मजदूरी इस अधिनियम के अधीन संदेय थे। [लाईफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, वाराणसी बनाम विशेष न्यायाधीश (भष्टाचार निरोधी), अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वाराणसी, (2001) 1 UPLBEC 272]।

19. नियोजक द्वारा अपने कर्मचारी को सेवा मुक्त किया जाना—(1) ऐसे कर्मचारी को छोड़कर जो निर्दिष्ट अवधि के लिये या छुट्टी के कारण हुई किसी रिक्ति में रखा गया हो, कोई अन्य कर्मचारी अपने नियोजक द्वारा सेवा से मुक्त न किया जायेगा सिवाय उस दशा के जब—

- (क) उसके द्वारा धृत पद की छंटनी कर दी गयी हो; या
- (ख) वह शारीरिक अशक्तता या लगातार अस्वरुद्धा के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने के अयोग्य हो,

और उस पर ऐसा लिखित नोटिस तामील कर दिया गया हो जिसमें सेवा मुक्त करने के कारण दिये हों। नोटिस कम से कम तीस दिन का या ऐसी अधिक अवधि का होगा जो नियोजन की शर्तों के अधीन अपेक्षित हो :

प्रतिबन्ध यह है कि सेवामुक्ति का नोटिस उक्त अवधि से कम का भी हो सकता है यदि उसके साथ, उत्तरे दिनों की मजदूरी का, जितने से वह नोटिस अपेक्षित अवधि से कम का हो, भुगतान किया जाय।

(2) उपधारा (1) की कोई बात अनाचार के कारण पदच्युत किये जाने पर प्रवृत्त न होगी ;

टिप्पणी

शब्द कदाचार सापेक्षित शब्द है और अधिनियम अथवा संविधि के परिधि को ध्यान में रखते हुए जिसका अर्थान्वयन किया जा रहा है, उस विषय वस्तु एवं पाठ के सन्दर्भ में अर्थान्वयित करना होता है जिसमें कि पद आया है। 'कदाचार' से शाब्दिक रूप से बुरा आचरण या अनुचित आचरण अभिप्रेत है। [इंस्पेक्टर प्रेम चन्द बनाम गवर्नरमेन्ट आफ एन० सी० टी० आफ देल्ही एण्ड आदर्स, (2007) 2 SCC (L&S) 58]।

अब यह सुस्थापित है कि विश्वास की हैसियत धारित करने वाले व्यक्ति द्वारा आपराधिक न्यास भंग करना गंभीर प्रकृति का कदाचार है। [यू० पी० एस० आर० टी० सी० बनाम राम किशन अरोरा, (2007) 2 SCC (L&S) 64]।

20. कर्मचारी द्वारा नियोजन समाप्त किया जाना—(1) ऐसे कर्मचारी को छोड़कर जो निर्दिष्ट अवधि के लिये या छुट्टी के कारण हुई रिक्ति में रखा गया हो, कोई अन्य कर्मचारी तीस दिन का या ऐसी अधिक अवधि का, जो उसके नियोजन की शर्तों के अधीन अपेक्षित हो, नोटिस दिये बिना अपना नियोजन समाप्त नहीं करेगा।

(2) यदि कर्मचारी उपधारा (1) के उपबन्धों का अनुपालन न करे, तो पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि की उसकी अदत्त मजदूरी उसके नियोजक के हक में जब्त की जा सकती है।

अध्याय 5

बच्चों और स्त्रियों का नियोजन

21. बच्चों के नियोजन का निषेध—ऐसे नियोजन में जो राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित किया जाये शिशिक्षु के रूप में काम करने के सिवाय, न तो किसी दुकान या वाणिज्य अधिष्ठान में काम करने की किसी बच्चे से अपेक्षा की जायगी और न उसे उसमें काम करने दिया जायगा।

22. रात्रि में स्त्रियों तथा बच्चों के नियोजन का निषेध—रात्रि में किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में कर्मचारी या अन्य रूप में, किसी स्त्री या बच्चे से न तो काम करने की अपेक्षा की जायगी और न उसे काम करने दिया जायगा।

23. विशिष्ट अवधि में स्त्रियों के नियोजन का निषेध—कोई भी नियोजित जानबूझ कर किसी स्त्री से, उसके बच्चा पैदा होने के बाद के दिन से छः सप्ताह की अवधि में, किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में न काम करने की अपेक्षा करेगा और न उसे काम करने देगा और न ऐसी कोई स्त्री उस अवधि में किसी दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में काम करेगी।

24. गर्भवती होने पर अनुपस्थित रहने का अधिकार—(1) कोई गर्भवती स्त्री कर्मचारी पूरे सात दिन का लिखित नोटिस देकर, अपने नियोजक से, उस अवधि तक अपने को कार्यमुक्त करने की अपेक्षा कर सकती है, जो प्रसव के सम्भावित दिनांक से पूर्व छः सप्ताह से अधिक न हो।

(2) नोटिस मिलने पर नियोजक, उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उक्त स्त्री कर्मचारी को, प्रसव के सम्भावित दिनांक को समाप्त होने वाली छः सप्ताह का अवधि के लिये, कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा।

(3) (क) नियोजक, नोटिस मिलने पर, उस स्त्री-कर्मचारी से, यदि वह चाहे तो किसी महिला डाक्टर से, अन्यथा, किसी उहंता सम्पन्न चिकित्सा व्यवसायी या दाई रो, उस (नियोजक के) व्यय पर चिकित्सकीय परीक्षा कराने स्त्री अपेक्षा कर सकता है।

(ख) यदि—

- (i) स्त्री-कर्मचारी ऐसे चिकित्सकीय परीक्षा कराने से इकार करे; या
- (ii) उसकी उक्त परीक्षा किये जाने पर यह पाया जाय कि वह गर्भवती नहीं है, या यह कि उसके उस दिनांक से छः सप्ताह के भीतर प्रसव की कोई सम्भावना नहीं है जब से कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा माँगी गयी हो,

तो नियोजक उसे कार्य से मुक्त करने से इकार कर सकता है, किन्तु यदि स्त्री-कर्मचारी गर्भवती पायी जाय तो प्रश्न के सम्बावित दिनांक के पूर्व छः सप्ताह की अवधि के लिये उसे कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जायगी।

२५. ब्रूपूर्दं छुट्टी—कार्य से उन अवधियों में अनुपस्थित जिनके सम्बंध में स्त्री-कर्मचारी इस अधिनियम की धारा 26 के अधीन प्रसूति लाभों की हकदार हो, कार्य से प्राधिकृत रूप से अनुपस्थित मानी जायगी और स्त्री-कर्मचारी इन अवधियों में से किसी भी अवधि के लिये प्रसूति-लाभों की हकदार होगी, परन्तु मजदूरी पाने की हकदार न होगी।

२६. प्रसूति लाभ—प्रत्येक स्त्री-कर्मचारी, जो अपने प्रसव के दिनांक से पहले कम-से-कम छः मास तक एक ही नियोजक के निरन्तर नियोजन में (चाहे एक ही दुकान या वाणिज्य-अधिष्ठान में या विभिन्न दुकानों या वाणिज्य अधिष्ठानों में) रही हो अपने नियोजक से—

- (क) प्रसव के दिन से ठीक छः सप्ताह पूर्व तक की अवधि के लिये, और
- (ख) प्रसव के दिन से छः सप्ताह बाद तक की अवधि के लिये, ऐसे प्रसूति-लाभों को और ऐसी रीति से पाने की हकदार होगी, जो नियत की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई स्त्री-कर्मचारी किसी भी ऐसे दिन के लिये इस प्रकार का कोई लाभ पाने की हकदार न होगी, जिस दिन वह, उपर्युक्त अवधियों में से किसी भी अवधि में काम पर आती रही हो और उसके लिये मजदूरी पाती रही हो।

२७. विश्राम के लिये अन्तर्काल—स्त्री-कर्मचारी अपने बच्चे के स्तनपान की अवधि में, विश्राम के नियमित अन्तर्कालों के साथ-साथ उपर्युक्त प्रयोजन के लिये आध-आध घंटे के दो और अन्तर्कालों की हकदार होगी।

२८. प्रसूति के कारण काम से अनुपस्थित रहने की अवधि में या अनुपस्थिति के कारण, सेवामुक्त करने या सेवा से हटाने का निषेध—(1) कोई भी नियोजक किसी स्त्री-कर्मचारी को धारा 25 के अधीन काम से अनुपस्थित रहने की अनुमत अवधि में या उस अवधि में काम से अनुपस्थित रहने के कारण न तो सेवा से मुक्त करेगा और न सेवा से हटायेगा।

(2) यदि इन्सपेक्टर की यह राय हो कि ऐसा बिना पर्याप्त कारण से किया गया है तो, प्रसव के दिनांक के छः मास के भीतर सेवा से मुक्त कर दी जाने या हटा दी जाने के कारण ही कोई स्त्री-कर्मचारी उन प्रसूति लाभों से वंचित नहीं की जायेगी जिनकी कि वह सेवा से मुक्त न होने या हटाये न जाने की दशा में हकदार होती।

अध्याय 6

प्रवर्तन तथा शास्त्रियाँ

२९. इन्सपेक्टरों की नियुक्ति—राज्य सरकार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लिये एक मुख्य निरीक्षक और

पुस्तकालय
श्रमायुक्त कार्यालय
उत्तरप्रदेश, कानपुर

एक उप मुख्य निरीक्षक और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षत्रों के लिये उतने निरीक्षक, जितने आवश्यक समझे जायें, नियुक्त कर सकती हैं।

30. इन्सपेक्टरों का प्रवेश करने आदि का अधिकार—ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जाय, इन्सपेक्टर हर उचित समय पर किसी ऐसे स्थान में, जो दुकान या वाणिज्य अधिकारी अधिनियम द्वारा वाणिज्य-अधिकारी मानने का उसके पास कारण हो, वहाँ रखे रजिस्टरों, अभिलेखों या अन्य लेख्यों की जाँच करने के प्रयोजनार्थ, प्रवेश कर सकता है। इन्सपेक्टर अपनी सहायता के लिये ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ ले जा सकता है जिन्हे वह आवश्यक समझे और उस रथान का, जो उस समय रवामी या अध्यासी हो, वह उन्हे प्रवेश करने देगा तथा उक्त रजिस्टरों, अभिलेखों या लेख्यों की जाँच करने देगा। इन्सपेक्टर उनमें से ऐसे रजिस्टरों, अभिलेखों या अन्य लेख्यों का अभिग्रहण कर सकता है, जिनकी से इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों का कोई उल्लंघन सिद्ध करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा हो।

31. निरीक्षक आदि लोक सेवक होंगे (ऐक्ट संख्या 45, 1860)—धारा 29 के अधीन नियुक्त मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक तथा प्रत्येक निरीक्षक इण्डियन पैनल कोड की धारा 21 के अर्थ में पब्लिक सरवेन्ट (लोक सेवक) समझे जायेंगे।

32. रजिस्टर आदि—नियोजक ऐसे रजिस्टर तथा अभिलेख रखेगा और ऐसे नोटिस प्रदर्शित करेगा, जो नियत किये जायं।

33. उपबन्धों का उल्लंघन—प्रत्येक व्यक्ति जो, धारा 20 की उपधारा (1) के उपबन्धों से भिन्न, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे या उनका अनुपालन न करे, इस अधिनियम के अधीन अपराध करने का दोषी होगा।

34. कम्पनियों आदि द्वारा अपराध—(1) यदि इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो कम्पनी और प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उसका कारोबार चलाने के निमित्त कम्पनी का अवधायक तथा उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने का दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई उक्त व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी तो इस उपधारा की किसी बात से वह दण्ड न भागी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय, कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है अथवा यह कि अपराध उसकी किसी अपेक्षा के कारण हुआ है तो वह निदेशक, प्रबन्धक सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तदनुसार उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

- (क) 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ (association) भी है, और
- (ख) फर्म के सम्बंध में 'निदेशक' का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है।

35. दण्ड—इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को अर्थ दण्ड दिया जा सकेगा जो प्रथम अपराध के लिये एक सौ रुपये तक तथा प्रत्येक अनुवर्ती अपराध के लिये पाँच सौ रुपये तक हो सकता है।

टिप्पणी

अधिनियम की धारा 35 अधिनियम के अधीन अपराध के दण्ड का प्रावधान करती है और इस प्रभाव से प्रावधान बनाये गये हैं कि अधिनियम के अन्तर्गत दोषी कोई भी व्यक्ति जुर्माने के लिए दायी होगा जो कि प्रथम अपराध के लिए एक सौ रुपये तक होगा और प्रत्येक उत्तरवर्ती अपराध के लिए पाँच सौ रुपये तक होगा। [यूनाइटेड प्रेविसियल ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी बनाम पी० ओ० लेबर कोर्ट, इलाहाबाद, 2005 (107) FLR 495]

36. अभियोजन की कालावधि—(1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान (cognizance) न करेगा जब तक कि कथित अपराध किये जाने के दिनांक से छः मास के भीतर लिखित अभियोग प्रस्तुत न किया जाय।

(2) न्यायालय जो इस अधिनियम के अधीन अपराधों की सुनवाई के लिए अधिकृत होंगे —कोई भी न्यायालय जो द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के अधीन किसी अपराध की सुनवाई न करेगा।

¹(3) मुख्य निरीक्षक, इस निमित्त राज्य सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के अध्यधीन इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन अपराध के लिए निश्चित अधिकतम जुर्माने की राशि से अधिक न होने वाली उस संघटक राशि के, जिसे वह ठीक समझता है, उदग्रहण पर, अभियोजन के संस्थित करने से या तो पूर्व या पश्चात् कर सकता है और जहाँ कि अपराध का ऐसा शमन

- (i) अभियोजन के संस्थित करने से पूर्व किया जाता है वहाँ अपराधी ऐसे अपराध के अभियोजन के लिए दायी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में है तो वह छोड़ दिया जायेगा;
- (ii) अभियोजन के संस्थित करने के पश्चात् किया जाता है, तो शमन अपराधी का उन्मोचन गठित करेगा।]

अध्याय 7

विविध

37. इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही का संरक्षण—इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये, जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा दिये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जायगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जायगी।

38. परिकल्पना—जब कोई दुकान या वाणिज्य-अधिकान वस्तुतः खुला हो तो परिकल्पना (presumption) यह की जायेगी कि वह किसी ग्राहक की सेवा के लिये या दुकान या वाणिज्य-अधिकान में सामान्यतः किये जाने वाले कारोबार, व्यापार अथवा निर्माण के लिये खुला है।

1. 1979 के उ०प्र० अधिनियम सं० 35 द्वारा अन्तःस्थापित।

टिप्पणी

धारा 38 यह प्रावधान करती है कि जब कभी दुकान या वाणिज्यिक स्थापन वस्तुतः खोली गयी है वहाँ यह उपधारित किया जायेगा कि यह किसी भी उपभोक्ता की सेवा के लिए या कारबार, व्यापार अथवा विनिर्माण के लिए जो कि दुकान या वाणिज्यिक स्थापन में सामान्यतः किया जाता है, के लिए खुली है। अधिनियम उक्त उपधारणा के सिवाय अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य प्रकार के उपधारणाओं को उठाये जाने की अनुज्ञा नहीं देता है। [यूनाइटेड प्रोविंसियल ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी बनाम पी० ओ० लेबर कोर्ट, इलाहाबाद, 2005 (107) FLR 495]।

39. वर्कमेंस कम्पेन्सेशन ऐक्ट तथा रूल्स का प्रवृत्त होना—वर्कमेंस कम्पेन्सेशन ऐक्ट, 1923 (ऐक्ट संख्या 8, 1923) तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्ध दुकान या वाणिज्य- अधिष्ठान के प्रत्येक कर्मचारी पर, आवश्यक परिवर्तनों के साथ प्रवृत्त होंगे।

40. नियम बनाने का अधिकार—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये [अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है]।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के सम्बंध में नियम बना सकती है, अर्थात्—

- (क) नियोजक द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर तथा अभिलेख;
- (ख) नियोजक द्वारा प्रदर्शित किये जाने वाले 'नोटिस';
- ²[(ख-1) अध्याय 1-क के अधीन दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों के रजिस्टर का प्रपत्र;
- (ख-2) अध्याय 1-क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए फीस;
- (ख-3) अध्याय 1-क के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।
- (ग) कटौतियाँ, जो कर्मचारी की मजदूरी से की जा सकती है;
- (घ) अर्थ-दण्ड तथा पदच्युति;
- (ङ) आकर्षिक छुट्टी की स्वीकृति और उक्त छुट्टी की अवधि की मजदूरी के भुगतान को विनियमित करना;
- (च) अन्य छुट्टियों की स्वीकृति को विनियमित करना;
- (छ) प्रसूति-लाभ और उनका भुगतान; और
- (ज) ऐसे विषय, जो इस अधिनियम के अधीन नियत किये जाने हों या जो नियत किये जा सकें।

(3) इस अधिनियम के अधीन नियम इसी शर्त पर बनाये जा सकेंगे कि उनका पूर्व प्रकाशन किया जाय।

(4) [* * *]³

41. निरसन यू०पी० ऐक्ट संख्या 22, 1947—यूनाइटेड प्राविसेज शाप्स ऐन्ड कमर्शियल इस्टैट्युशनमेन्ट्स ऐक्ट, 1947 निरस्त किया जाता है।

1. 1976 के उ०प्र० अधिनियम सं० 54 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. 1976 के उ०प्र० अधिनियम सं० 54 द्वारा खण्ड (ख-1 से ख-3) जोड़ा गया।

3. 1976 के उ०प्र० अधिनियम सं० 54 द्वारा निकाला गया।

अनुसूची 1

[धारा 1(3) देखिये]

भाग क

निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों तथा वाणिज्य अधिष्ठानों पर इस अधिनियम के सब उपबन्ध होंगे :—

नाम	क्षेत्र जिनमें इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे
2	3
आगरा	म्युनिसिपल तथा कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र तदैव
इलाहाबाद	"
बरेली	"
कनपुर	"
देहरादून	"
झाँसी	"
मेरठ	"
मसूरी	"
मथुरा	"
नैनीताल	"
सीतापुर	"
रामपुर	"
शाहजहाँपुर	"
वाराणसी	म्युनिसिपल तथा कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र और लंका, विद्यापीठ रोड, भोजूबीर, शिवपुर और पाण्डेपुर के आसन्नवर्ती क्षेत्र।
लखनऊ	म्युनिसिपल तथा कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र और चारबाग, आलमबाग, नोटीफाइड एरिया और चाँदगंज कला, आलमबाग और मवइया के आसन्नवर्ती क्षेत्र।
फरुखाबाद एवं फतेहगढ़	म्युनिसिपल तथा कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र और लालबाग, बदपुर, नेकपुर और भोलेपुर के असन्नवर्ती क्षेत्र।
अलीगढ़	म्युनिसिपल क्षेत्र
फिरोजाबाद	"
फैजाबाद	"
गोरखपुर	"
हापुड़	"
हाथरस	"
मुजफ्फरनगर	"
सहारनपुर	"
गोन्डा	"
गाजियाबाद	नगरपालिका क्षेत्र ¹ [और रेलवे स्टेशन के क्षेत्र गाजियाबाद, जैसा कि नीचे अनुसूची में वर्णित है।]

अनुसूची

बीहृदी क्षेत्र का नीचे विवरण :-

पूरब—रेलवे केबिन

पश्चिम—रेलवे केबिन

दूतर—नगरपालिका गेट से जुड़ा हुआ रिक्षा तांगा ठहराव का क्षेत्र।

द्वाषिण—जी०आर०पी० पुलिस का क्षेत्र और भूड़ और सुन्दरपरी मोहल्ला का शुरुआत।

27.	कायमगंज	"
28.	मिर्जापुर	"
29.	बुलन्दशहर	"
30.	बाराबंकी	"
31.	बैंदा	"
32.	हरदोई	"
33.	जौनपुर	"
34.	पीलीभीत	"
35.	उरई	"
36.	बहराइच	"
37.	सुल्तानपुर	"
38.	आजमगढ़	"
39.	इटावा	"
40.	रायबरेली	"
41.	पड़रौना	"
42.	हमीरपुर	"
43.	बस्ती	"
44.	मैनपुरी	"
45.	उन्नाव	"
46.	प्रतापगढ़	"
47.	देवरिया	"
48.	लखीमपुर-खीरी	"
49.	गाजीपुर	"
50.	बिजनौर	"
51.	फतेहपुर	म्युनिसिपल क्षेत्र तथा कलक्टरगंज, हरिहरगंज, रेलबाजार, देवीगंज और राधानगर के आसन्नवर्ती क्षेत्र। [सादीपुर के संलग्न क्षेत्र और फतेहपुर का पक्का तालाब]
52.	कन्नौज	म्युनिसिपल क्षेत्र और सराय मीरन और मकरन्दनगर के आसन्नवर्ती क्षेत्र।
53.	बलिया	म्युनिसिपल क्षेत्र।
54.	चन्दौसी	तदैव
55.	कासगंज	तदैव

1. अधिसूचना सं० 356-(LL)36-B-47-(LL)-62, दिनांक 18.02.1962 द्वारा अन्तःस्थापित (08.02.1964 से प्रभावी)।

56.	भदोई (वाराणसी)	..	तदैव
57.	रामनगर (नैनीताल)	..	तदैव
58.	हल्द्वानी	..	तदैव
59.	शामली (मुजफ्फरनगर)	..	तदैव
60.	बदायूँ	..	तदैव
61.	शिकोहाबाद (मैनपुरी)	..	तदैव
62.	काशीपुर (नैनीताल)	..	तदैव
63.	महोबा (हमीरपुर)	..	तदैव
64.	मुराबादाद	..	म्युनिसिपल क्षेत्र और रेलवे सेटिलमेन्ट नोटिफाइड एरिया, रेलवे स्टेशन और रेलवे इंस्टीट्यूट।
¹ 65.	ऐटा	..	नगर पालिका क्षेत्र]
² 66.	मऊनाथभंजन	..	नगर पालिका क्षेत्र]
³ 67.	रुढ़की जिला (सहारनपुर)	..	रुढ़की का नगरपालिका और छावनी क्षेत्र (जिला सहारनपुर)]
⁴ 68.	घटौली (मुजफ्फर नगर)	..	नगर पालिका क्षेत्र]
⁵ 69.	उत्तरकाशी	..	नगर पालिका क्षेत्र]
⁶ 70.	बिसौली (बदायूँ)	..	नगर क्षेत्र]
⁷ 71.	बिल्सी (बदायूँ)	..	नगर पालिका क्षेत्र]
⁸ 72.	हैदरगढ़ (बाराबंकी)	..	नगर क्षेत्र]
⁹ 73.	किरावली (जिं आगरा)	..	नगर क्षेत्र]

भाग ख

निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों तथा वाणिज्य-अधिकारों पर धारा 2, 3, 8, 9, 12, 13, 15, 19, ¹⁰[30], 32, 33, 34, 35 ¹¹[36, 38, 39] और 40 के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे :—

नाम	क्षेत्र जिसमें उक्त धाराएँ प्रवृत्त होंगी
1—रुढ़की	म्युनिसिपल तथा कैन्टोनमेन्ट क्षेत्र
2—खुर्जा	म्युनिसिपल क्षेत्र।
3—हरिद्वार	तदैव
4—बलरामपुर (गोण्डा)	तदैव

1. अधिसूचना सं० 2324(I.L)(i)/36-B-47-(LL)-62, दिनांक 25.07.1963 द्वारा जोड़ गया (25.07.1963 से प्रभावी)।
2. अधिसूचना सं० 2764-(L)(iv)/XXXVI-(D)-47-(LL)-1962, दिनांक 08.12.1964 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना सं० 1252-(A)-/36-(D)-340-(LL)-65, दिनांक 05.06.1969 द्वारा जोड़ा गया।
4. अधिसूचना सं० 522(V)/XXXVI-5-556-(V)-73, दिनांक 15.04.1975 द्वारा जोड़ा गया।
5. अधिसूचना सं० 4997 (V) 36-3-717(5)-76, दिनांक 10.02.1977 द्वारा जोड़ा गया।
6. अधिसूचना सं० 5700(V)/36-3-721(5)-76, दिनांक 07.04.1977 द्वारा जोड़ा गया।
7. अधिसूचना सं० 5700(V)/36-3-721(5)-76, दिनांक 07.04.1977 द्वारा जोड़ा गया।
8. अधिसूचना सं० 680(V)36-3-701(V)-72, दिनांक 26.04.1978 द्वारा जोड़ा गया।
9. अधिसूचना सं० 936/XXXVI-3-12(5)-85, दिनांक 07.03.1992 द्वारा जोड़ा गया।
10. अधिसूचना सं० 2324-LI.(V)/XXXVI-B-47-(LL)-62, दिनांक 25.07.1963 द्वारा जोड़ा गया।
11. अधिसूचना सं० 2324-LI.(V)/XXXVI-B-47-(LL)-62, दिनांक 25.07.1963 द्वारा जोड़ा गया।

5—मऊनाथभंजन	म्युनिसिपल क्षेत्र।
6—तिलहर	तदैव
7—नगीना	तदैव
8—नजीबाबाद	तदैव
9—देवबन्द (सहारनपुर)	तदैव
10—शाहाबाद (हरदोई)	तदैव
11—पंडितवारी (देहरादून)	तदैव
12—जालौन	तदैव
13—अमेठी	तदैव
14—करबी (बाँदा)	तदैव
15—मुगलसराय	तदैव
16—टांडा (फैजाबाद)	तदैव
17—गौरा बड़हज (देवरिया)	तदैव
18—कैराना (मुजफ्फरनगर)	तदैव
19—बड़ौत (मेरठ)	तदैव
20—वृन्दावन (मथुरा)	तदैव
21—मवाना (मेरठ)	तदैव
22—जलालपुर (फैजाबाद)	तदैव
23—कोटद्वारा (गढ़वाल)	तदैव
24—एटा	तदैव
25—ललितपुर (झाँसी)	तदैव
26—मऊरानीपुर (झाँसी)	तदैव
27—सम्भल (मुरादाबाद)	तदैव
28—अमरोहा (मुरादाबाद)	तदैव
29—चाँदपुर (बिजनौर)	तदैव
30—अल्मोड़ा	तदैव
31—बीसलपुर (पीलीभीत)	तदैव
32—विसवाँ (सीतापुर)	तदैव
33—गोलागोकरननाथ (खीरी)	तदैव
34—कोंच (जालौन)	तदैव
35—कालपी (जालौन)	तदैव
36—खटौली (मुजफ्फरनगर)	तदैव
37—औरइया (इटावा)	तदैव
38—धामपुर (बिजनौर)	तदैव
39—सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर)	तदैव
40—ऋषिकेश (देहरादून)	तदैव
41—उझानी (बदायूँ)	तदैव
42—भरथना (इटावा)	टाउन एरिया
43—रसड़ा (बलिया)	नोटीफाइड एरिया
44—शाहगंज (जौनपुर)	तदैव
45—छिबरामऊ (फर्रुखबाद)	टाउन एरिया

46—मोदीनगर (मेरठ)	तदैव
¹ 47—पिल्खवा (मेरठ)	नगरपालिका क्षेत्र
48—मंगलोर (सहारनपुर)	नगरपालिका क्षेत्र]
² 49—राबर्टसगंज (मिरजापुर)	नगरपालिका क्षेत्र]
³ 50—कोसी कलां (मथुरा)	नगरपालिका क्षेत्र]
⁴ 51—चुनार (मिरजापुर)	तिकौर गाँव और चुनार रेलवे केबिन (पश्चिम) से चुनार नगर तक रोड़]
⁵ 52—गोराईगंज (लखनऊ)	नगर क्षेत्र]
⁶ 53—लखना (इटावा)	नगर क्षेत्र]
⁷ 54—मेहमदाबाद (सीतापुर)	नगर क्षेत्र]

भाग ग

राज्य में स्थित वेक्यूम पान शुगर फैक्टरियों के उन सब कर्मचारियों पर इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे जिन पर कि फैक्टरीज ऐक्ट, 1948 उपबन्ध प्रवृत्त नहीं होते हैं।

भाग घ

राज्य में स्थित सब गन्ना सहकारी समितियों के वाणिज्य-अधिष्ठानों पर इस अधिनियम के सब उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची 2

(दुकानें तथा वाणिज्य-अधिष्ठान जिन पर धारा 5 तथा 8 के उपबन्ध प्रवृत्त न होंगे।)

1—ऐसी दुकानें तथा वाणिज्य-अधिष्ठान जो अनन्यतः या मुख्यतः भोजन, जलपान, समाचार-पत्रों तथा नियतकालिक पत्रिकाओं, औषधियों, चिकित्सकीय तथा शाल्य उपकरणों, शाक-सब्जी, मिठाईयों, दूध, पकाये हुए भोजन, फूल, पान और सुपारी, मांस-मछली, कुक्कुटादि (Poultry), शिकार किये हुए पशु-पक्षी, अण्डों, बर्फ तथा ताजे फल और हरे चारे का व्यवसाय करते हों।

2—सिनेमा, नाट्यशाला तथा सार्वजनिक विनोद या मनोरंजन के अन्य स्थान।

3—क्लब तथा निवास-स्थान युक्त होटल।

4—रेल के रेटेशनों पर के स्टाल तथा जलपान-गृह।

5—ऐसी दुकानें जो मोटर स्प्रिट तथा मोटर अथवा वायुयान के अतिरिक्त भागों और सहायक सामान की विक्री करते हों।

6—नाइयों तथा केश प्रसाधकों की दुकानें तथा अधिष्ठान।

7—सरकार से लाइसेंस प्राप्त ऐसी दुकानें तथा अधिष्ठान जो मद्य द्रवों या स्वापक भेषजों (Narcotic drugs) का व्यवसाय करते हों।

8—अनन्यतः या मुख्यतः शब्द दफनाने, अन्येष्टि के लिए ले जाने तथा दाह संस्कार के लिए आवश्यक वस्तुओं का व्यवसाय करने वाली ऐसी दुकानें, जो नियत रीति से कलेक्टर द्वारा विज्ञापित की जाय।

1. अधिसूचना सं० 2324-(LL)(ii)/36-B-47-(LL)-62, दिनांक 25.07.1963 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना सं० 2764-(LL)(ii)/36-(D)-47-(LL)-62, दिनांक 08.12.1964 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. अधिसूचना सं० 1335-(LL)/36-(D)-47-(LL)-62, दिनांक 16.02.1967 द्वारा जोड़ा गया।
4. अधिसूचना सं० 718-(A)/XXXVI-D-340(A)-65, दिनांक 15.10.1968 द्वारा अन्तःस्थापित।
5. अधिसूचना सं० 612(V)/36-5-566(V)-73, दिनांक 01.04.1975 द्वारा जोड़ा गया।
6. अधिसूचना सं० 1107(V)/36-5-566(V)-73, दिनांक 22.05.1975 द्वारा जोड़ा गया।
7. अधिसूचना सं० 1201 (V)/36-5-566(V)-73, दिनांक 19.04.1976 द्वारा जोड़ा गया।

9—अनन्यतः या मुख्यतः पैट्रोमैक्स, बैण्ड तथा लाउड स्पीकर, जिनकी अपेक्षा विवाह तथा अन्य अनुष्ठानों के अवसरों के लिए की जाती है, किराये पर देने का व्यवसाय करने वाली दुकानें।

10—पूर्व प्रयोजनों के लिए आयोजित प्रदर्शनी, सार्वजनिक प्रदर्शन, मेलों या बाजारों में दुकान।

11—परिवहन सेवाएँ।

12—बिजली तथा जल-सम्भरण प्रतिष्ठान।

13—अनन्यतः या मुख्यतः साइकिलों, रिक्शों, ताँगा, इक्का तथा बैलगाड़ी की मरम्मत करने वाली दुकानें।

¹[14—वे दुकानें और वाणिज्यिक स्थापन जो विनिर्माण प्रक्रिया से सम्बन्धित नहीं हैं लेकिन जो कि अनन्यतः अशोगा मुख्य रूप से विद्युत संव्यवहार प्रसंस्करण, इंटरनेट और वायस कस्टमर केयर सर्विस, काल सेंटर, साप्टवेयर डिजाइनिंग एण्ड डेवलपमेन्ट्स साइबर कैफे/किओस्क, पी०सी०ओ०, फैक्स और ई-मेल सेवाओं का कारबार कर रहे हैं।]

²[15. मल्टीफ्लेक्स, शॉपिंग कम्प्लेक्स]

³[16. सौकर्य भंडार।]

1. अधिसूचना सं० 3500/36-3-2000-1-99, दिनांक 22.12.2000 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना सं० 1539/XXXVI-3-04-(DV)-99, दिनांक 1.6.2004 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना सं० 1538/XXXVI-3-04(DV)-99, दिनांक 1.6.2004 द्वारा जोड़ा गया।